न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 89/2025   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/174**
दायर दिनांक :– 24.04.2025   **निर्णय दिनांक :– 28.08.2025**

1. छोटा देवी पत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी रावरा तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी/वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रार्थी/प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी/प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी/प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादी द्वारा उपरोक्त अनवान का वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगणों को हर वर्ष समय–समय पर सरकारी भूमि से बेदखल किया है तथा वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षो तक कब्जा काश्त नहीं रहने से विवादित भूमि पर वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का वादी को वाद कारण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से पूर्व वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से इस स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा सरकारी भूमि पर लम्बे समय से खातेदारी अधिकार घोषित किये जानें की मांग की गई है जबकि समय–समय पर माननीय हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय से वादी को Adverse Possession के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते है तथा गिरदावरी रिपोर्ट से किसी भी खातेदार को खातेदारी हक अधिकार पैदा नहीं हो सकते है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अन्य कोई आधार मौजूद नहीं होने से उपरोक्त अनवान का वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं है तथा वाद कारण पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इस स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सुनी गई। पत्रावली में

28.08.25
बाप (फलोदी)

सलंग्न वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, वर्तमान जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एंव निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादपत्र अनुसार वादी के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में वादी का सरहद मौजा रावरा पटवार क्षेत्र सांवरा गांव के खसरा नम्बर 315/180 रकबा 114.8334 हैक्टेयर में संलग्न नक्शानुसार रकबा 60–00 बीघा जो कि वादग्रस्त भूमि है पर कब्जा काश्त है। बाप तहसील के कुछ गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र में लिया गया है जिनमें पटवार मण्डल सांवरा गांव भी सम्मिलित है। उपनिवेशन विभाग के क्षेत्राधिकार में आये गांवों में कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान है। इसलिये वादी को विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिये वादी ग्राम रावरा पटवार क्षेत्र सांवरा गांव के खसरा नम्बर 315/180 रकबा 114.8334 हैक्टेयर में संलग्न नक्शानुसार रकबा 60–00 बीघा, खसरा नम्बर 262/198 रकबा 18.1600 हैक्टेयर मे संलग्न नक्शानुसार रकबा 40–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 281/200 रकबा 12.2687 हैक्टेयर में संलग्न नक्शानुसार 48–00 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

तहसीलदार बाप के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार वादग्रस्त भूमि राजकीय सिवाय चक भूमि है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। वादकारण नहीं पैदा होने के कारण, प्रथम दृष्ट्या वाद साबित नहीं होने के कारण, 80 सी.पी.सी. नोटिस के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि/सिवाय चक भूमि है। प्रतिकूल कब्जे का सिद्वान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तहसीलदार बाप के अनुसार विधि के प्रावधानानुसार समय–समय पर उक्त वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल किया जाता रहा है। 'प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी' के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है:–

i. आर.आर.डी. 2016 पेज 464/चेनाराम और अन्य विरूद्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य–माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है।

ii. आर.आर.डी. 2011 पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 03.06.2011– इस निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Tenancy act does not have provision to confer tenancy right to adverse possessor. This bench also inter that providing tenancy right to advrse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy right is against the basic spirit of this special legislation."

28/01/15

कलेक्टर

(फलोदी)

iii. आर.आर.डी. 2018 पेज 715 सरजू राव बनाम अमृतलाल पूण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018— इस निर्णय में भी जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाला देते हुये माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

iv. बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ का निर्णय दिनांक 15.10.1990— प्रतिकूल कब्जे का सिद्वान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। एक अतिचारी का कब्जा राज्य के विरूद्व प्रतिकूल नहीं हो जाता है। एक खातेदार अभिधारी भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार धारण नहीं करता, वह केवल पट्टेदार है, राज्य भू-धारक/भूमि का स्वामी बना रहता है। एक खातेदार अभिधारी को भूमि को धारित करने और उस पर खेती करने का अधिकार है जो कुछ शर्तो के अध्याधीन है। यदि उन शर्तो में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य को उस भूमि को वापिस लेने का अधिकार है।

2. किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 12(2), 13, 15, 19, 189(2), 193, 194(2) व धारा 101 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 18 राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 और राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकते है। निर्विवाद रूप से वादी ने उक्त किसी भी धारा के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अभिवचन नहीं लिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधिनियम के तृतीय अनुच्छेद में भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यायालय के अभिमत में, वादीगण को वादकारण हासिल नहीं होने के कारण, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के प्रावधान नहीं है।

प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः-

> ***11. Rejection of plaint.-*** *The plaint shall be rejected in the following cases:—*
> *(a) where it does not disclose a cause of action;*
> *(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;*
> *(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;*
> *(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;*
> *(e) where it is not filed in duplicate;*
> *(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.*
>
> ***Provided that*** *the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.*

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 of the Code.
(iv) For deciding such an application not any particular plea has to be considered, and the whole plaint has to be read. Only a part of the plaint cannot be rejected and if no cause of action is disclosed, the plaint as a whole must be rejected.
(v) Rule 11 of Order 7 CPC lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of the written statement. Instead, the word "shall" is used, clearly implying thereby that it casts a duty on the court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the various clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. Even if no objection is taken by the defendant by filing an application under this provision, the court itself is empowered to reject the plaint if it finds that the case is covered within the four corners of this provision.
(vi) It is well settled that the question of jurisdiction namely whether a suit is exclusively triable by a revenue court or a Civil Court can take cognizance of it has to be decided on the allegations made in the plaint. It is also further settled that it is the substance of the plaint and the true nature of the suit that is to be seen to determine the question of jurisdiction. If in substance the relief claimed is one which the revenue court alone is entitled to give, the jurisdiction of the civil court will be ousted even though it may require the revenue court to incidentally determine some ancillary facts. In order to determine the true nature of the relief claimed in a suit, the pith and substance and not the form in which the relief may be couched has to be considered. Each case has to be examined on its own particular facts and no universal rule can be applicable to every case.

13. उपरोक्त विधिक प्रावधान न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत वाद को रेस–ज्यूडिकेटा से संबंधित विधि द्वारा वर्जित बताया गया है। इस संबंध में (Barred by Law) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है।

<u>Barred by Law</u>

14. सर्वप्रथम माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान ***M.Nelson Babu vs K.Kamalesh Babu***में दिनांक 15.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

11. <u>Order 7 Rule 11(d) has limited application</u>. For its applicability, it must be shown that the present suit is

28/8/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

barred under law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. What would be the relevant for invoking Order 7 Rule 11(d) of CPC are the averments made in the plaint and for that purpose, there cannot be any addition or subtraction. For the purpose of invoking the said provision, no amount of evidence can be looked into.

15. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Dega Jayalakshmi & Others Vs. Kapoor Enterprises*में दिनांक 26.08.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Law within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well.*

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो एवं विधिक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)